सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 09.03.2026 को आयोजित विभागीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही:

क्र0 सं0	प्रशाखा / विषय	निर्णय / निदेश
1	लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र का समायोजन।	इस सप्ताह 1500 करोड़ रुपये की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र समायोजन हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना के संग्रहण केन्द्र को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाना है। उक्त के आलोक में अभियान चलाकर लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र समायोजन सुनिश्चित किया जाए। इस कार्य हेतु विभाग में पदस्थापित वरीय पदाधिकारी को भी विभिन्न जिले, जहाँ अधिक राशि लंबित है, वहाँ प्रतिनियुक्त किया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–7)
2	मोक्षधाम का निर्माण एवं संचालन अभिसरण (Convergence) के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।	मोक्षधाम का निर्माण त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के पास उपलब्ध राशि से किया जाएगा। उक्त के अलावा अन्य कार्य / निर्माण विकसित भारत –गारंटी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण)–जी रामजी में उपलब्ध राशि से **अभिसरण (Convergence) के माध्यम से कराये जाने के संबंध में सहमति** हेतु ग्रामीण विकास विभाग से अनुरोध किया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–2)
3	ग्रामीण हाट–बाजार विकसित करने के संबंध में।	सात निश्चय–3 अंतर्गत ग्रामीण हाट–बाजार विकसित किये जाने के संबंध में **प्रस्ताव** एवं जिला को भेजा जाने वाला **मार्गदर्शिका** तैयार कर एक सप्ताह के भीतर उपस्थापित किया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–2)
4	निर्मित पंचायत सरकार भवनों में आधार केन्द्र की स्थापना।	समीक्षा के क्रम में सूचित किया गया कि निर्मित पंचायत सरकार भवन में **दिनांक 01.04.2026** से आधार केन्द्र स्थापित कर पंजीकरण की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु अगले एक सप्ताह में सभी संबंधितों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उक्त के आलोक में **कार्यपालक सहायक का मैपिंग, प्रमाणीकरण (Certification) एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)** संबंधित क्षेत्रिय पदाधिकारी / कर्मीगण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–2)
5	सप्तम् राज्य वित्त आयोग।	विभाग की तरफ से सप्तम् राज्य वित्त आयोग को उपलब्ध कराये जाने वाला **Memorandum अगले तीन दिवस के भीतर** तैयार कर उपस्थापित किया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–5)
6	वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी / अंकेक्षण पदाधिकारी की सेवा संविदा पर लिये जाने के संबंध में।	वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी / अंकेक्षण पदाधिकारी की सेवा संविदा के आधार पर लिये जाने के संदर्भ में आवेदकों की संख्या कम होने के कारण प्रतिभागियों द्वारा आवेदन समर्पित किये जाने की **अंतिम तिथि बढ़ाने** का निदेश दिया गया। (अनुपालन– प्रशाखा–7)
7	जन शिकायत कोषांग के माध्यम से परिवाद पत्रों का निष्पादन।	जन शिकायत कोषांग के माध्यम से परिवाद पत्रों के निष्पादन की स्थिति असंतोषजनक है। उक्त के संबंध में अगले सप्ताह सभी प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। (अनुपालन– प्रभारी जन शिकायत कोषांग एवं सभी प्रशाखा)
8	पंचायत निश्चय सॉफ्ट का अपडेशन।	समीक्षा के क्रम में सूचित किया गया कि NIC, Patna द्वारा पंचायत सरकार भवन के निर्माण की अद्यतन स्थिति की प्रविष्टि स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा किये जाने हेतु पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर आवश्यक अपडेट कर

		दिया गया है एवं जिला द्वारा Module को Test किया जा रहा है। उक्त के आलोक में दिनांक 01.04.2026 से अपडेटेड पोर्टल लाईव किये जाने हेतु सभी संबंधितों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। (अनुपालन– अनुश्रवण कोषांग एवं प्रशाखा–7)
9	पंचायत सरकार भवन में फर्नीचर उपलब्ध कराने हेतु निविदा प्रारूप के संबंध में।	नव निर्मित पंचायत सरकार भवन में **फर्नीचर** उपलब्ध कराने हेतु एक सप्ताह के भीतर **निविदा प्रारूप** तैयार कर उपस्थापित करना सुनिश्चित किया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–2 एवं अनुश्रवण कोषांग)
10	पंचायत सचिव के रिक्त पदों पर नियुक्ति।	समीक्षा बैठक के दौरान सूचित किया गया कि पंचायत सचिव की नियुक्ति के संबंध में **सारण एवं मगध प्रमंडल अंतर्गत अधियाचना अनुमोदन हेतु प्रमंडल स्तर पर लंबित** है। उक्त के आलोक में निदेशित किया गया कि संबंधित से समन्वय कर अधियाचना (रोस्टर सहित) उपलब्ध कराने का पुनः अनुरोध किया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–4)
11	एस0पी0एम0यू0 / डी0पी0एम0यू0।	राज्य एवं जिला स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई हेतु मानव बल की स्वीकृति के संबंध में संशोधित प्रस्ताव एवं प्रारूप उच्च स्तरीय निर्णय हेतु उपस्थापित किया जाए। (अनुपालन–प्रशाखा–3)
12	संविदा पर नियोजित तकनीकी सहायक का अवधि विस्तार।	संविदा पर नियोजित तकनीकी सहायकों का अवधि विस्तार किए जाने के संदर्भ में संलेख एवं प्रस्ताव का प्रारूप तैयार कर उपस्थापित किया जाए। (अनुपालन–प्रशाखा–3 एवं 8)
13	योजनाओं का निरीक्षण।	मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों द्वारा योजनाओं के निरीक्षण हेतु क्षेत्र भ्रमण करने एवं जिला स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित कर योजनाओं के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाए। निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दो–दिवस के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–8)

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

12/3/26
(मनोज कुमार)
सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः 9प / प्र0–08–802(खण्ड) / 2016 / 4270 / पं०रा० पटना, दिनांक 13.3. / 2026

प्रतिलिपिः निदेशक / परियोजना निदेशक / अपर सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी / अवर सचिव / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार / सभी प्रशाखा पदाधिकारी / प्रभारी अनुश्रवण कोषांग / आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि अपने प्रशाखा से संबंधित विषयों पर कार्रवाई करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाये।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः 9प / प्र0–08–802(खण्ड) / 2016 / 4270 / पं०रा० पटना, दिनांक 13 / 3 / 2026

प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / निदेशक के आशुलिपिक / अपर सचिव के आशुलिपिक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः 9प / प्र0–08–802(खण्ड) / 2016 / 4270 / पं०रा० पटना, दिनांक 13 / 3 / 2026

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव